ऑन लाईन नं.GCMS2023/233

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 52/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान —(विक्रेता व मालिक)—
   मै0 कोटूराम वीरभान किरयाना मर्चेन्ट, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर
2. महोदव ट्रेडिंग कम्पनी डीलर्स एन्न मेदा, सूजी, आटा एंड राईस, नोहरा नंबर 83, पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,52

निर्णय **दिनांक : 06.02.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2023 को समय दोपहर शाम 03.00 बजे मै. कोटूराम वीरभान किरयाना मर्चेन्ट, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने दुकान के अन्दर एक स्टील ट्रे में लगभग 20 पैकेट **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** का नमुना विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकय हेतु उपलब्ध **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** (4गुणा500) **2 किलोग्राम** विकेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विकेता को उक्त कयशुदा **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 80/— रूपये किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विकेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अशोक कुमार एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड) के मूल सिल्ड 500 ग्राम के चारों पैकेट पर** लैबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1658** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1658** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अशोक कुमार पुत्र श्री वीरभान एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/166/एक्ट/2023/166 दिनांक 28.02.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1658 Misbranded Food and Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान द्वारा अमानक स्तर का **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51,52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 12.06.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाए गए आरोप गलत व बेबुनियाद है। अप्रार्थी पर जो सूची विक्रय की जानी बताई गई है, वह अप्रार्थी द्वारा अम्बिका ब्रांड फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी नोहरा नं 83, पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर से जरिए बिल संख्या 5760 दिनांक 17.02.2023, सूजी वजनी 50 किलोग्राम, 37/– रूपए प्रतिकिलोग्राम के हिसाब से कुल 1850/– रूपए व मजदूरी 10/– रूपए कुल 1860 रूपए में खरीद की थी, उसी सूजी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिया गया था। उक्त सूजी का निर्माता फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी नोहरा नम्बर 83, पुरानी धानमंडी श्रीगंगानगर है। इसलिए अप्रार्थी द्वाराकिसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना ही अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अपराध प्रमाणित होता है, अप्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अशोक कुमार पुत्र श्री वीरभान के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त परिवाद अशोक कुमार के विरूद्ध उसके द्वारा विक्रय की जा रही सूजी के सबस्टेंडर्ड फूड और मिस ब्रांड फूड बाद जांच पाये जाने पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें अशोक कुमार द्वारा दिनांक 23.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर उत्तरदाता प्रार्थी को पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उत्तरदाता प्रार्थी को उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 के रूप में संयोजित कर नोटिस प्रेषित किया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एफएसएसए अधिनियम 2006 के तहत अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद फौजदारी कार्यवाही है, न कि सिविल कार्यवाही है, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों की ओर ध्यान ना देते हुए अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर उत्तरदाता प्रार्थी को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में संयोजित कर कानूनी भूल की है। इसलिए उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई भी अपराधिक विधि में सिविल विधि के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही कर कानूनी भूल की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 पक्षकार नहीं था और न ही माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 को पक्षकार बनाने में विधिक प्रक्रिया का पालन किया है। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही करने का कोई भी आधार रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध की गई कार्यवाही इसी स्तर पर निष्प्रभावी की जाकर अभियुक्त संख्या 2 को उन्मोचित किए जाने योग्य है। अभियुक्त संख्या 1 के प्रतिष्ठान से सूजी अम्बिका ब्राण्ड का सैम्पल लेकर उसकी जांच करवाई गई है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज केश ईन्वोईस दिनांक 17.02.2023 में केवल सुजी 50 किलो का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उल्लेख है। उक्त इन्वोइस में अंबिका ब्राण्ड का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऐसी सूरत मे उक्त दस्तावेज के आधार पर उत्तरदाता प्रार्थी को अभियुक्त संख्या 2 के रूप मे संयोजित करना विधि के विरूद्ध है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 मेदा सूजी का डीलर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सूजी (अम्बिका ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1658** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/166/एक्ट/2023/166 दिनांक 28.02.2023 अनुसार खाद्य नमूना **K-1658 Substandard Food and Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी पर जो सूची विक्रय की जानी बताई गई है, वह अप्रार्थी द्वारा अम्बिका ब्रांड फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी नोहरा नं 83, पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर से जरिए बिल संख्या 5760 दिनांक 17.02.2023, सूजी वजनी 50 किलोग्राम, 37/– रूपए प्रतिकिलोग्राम के हिसाब से कुल 1850/– रूपए व मजदूरी 10/– रूपए कुल 1860 रूपए में खरीद की थी, उसी सूजी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिया गया था। उक्त सूजी का निर्माता फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी नोहरा नम्बर 83, पुरानी धानमंडी श्रीगंगानगर है। अप्रार्थी संख्या के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथनों को दोहराया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 पक्षकार नहीं था और न ही माननीय न्यायालय द्वारा उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 को पक्षकार बनाने में विधिक प्रकिया का पालन किया है। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही करने का कोई भी आधार रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध की गई कार्यवाही इसी स्तर पर निष्प्रभावी की जाकर अभियुक्त संख्या 2 को उन्मोचित किए जाने योग्य है। अभियुक्त संख्या 1 के प्रतिष्ठान से सूजी अम्बिका ब्राण्ड का सैम्पल लेकर उसकी जांच करवाई गई है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज केश ईन्वोईस दिनांक 17.02.2023 में केवल सुजी 50 किलो का उल्लेख है। उक्त इन्वोइस में अंबिका ब्राण्ड का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऐसी सूरत में उक्त दस्तावेज के आधार पर उत्तरदाता प्रार्थी को अभियुक्त संख्या 2 के रूप में संयोजित करना विधि के विरूद्ध है। अभियुक्त संख्या 2 मेदा सूजी का डीलर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरदाता प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Suji (Ambica Gold)" bearing Code No and Sr. No. K-1658, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as it is does not meet to the prescribed provisions as per Food Fafety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. The sample is also Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006** जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान और महादेव ट्रेडिंग कम्पनी** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध के दोषी पाए जाते हैं। फलतः अभियुक्तग **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री विरभान** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) **और महादेव ट्रेडिंग कम्पनी** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, तांकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर